फर्द अहकाम

पत्रावली बनाम केसर खान

न्यायालय

संख्या प्रकरण 216/2019

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	4-2-21	पत्रावली पेश हुई वक्त अदालत बार-बार आवाज लगाई गई। वादीगण एवं वकील वादीगण कोई उपस्थित नहीं होने पर वादीगण का वाद अदम पैरवी / अदम पैरवी के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर अभिलेखागार के काबिल है। वाद खर्चा का दावा नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:32:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)